<u>निर्वाचन तत्काल</u>

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

सं. 3/4/आई.डी./ईसीआई/पत्र/प्रकार्या./विधिक/एसडीआर/खण्ड-I/2018 दिनांक- 12 फरवरी, 2018

सेवा में

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
आडिशा
भुवनेश्वर

विषय : **राज्य विधान सभा के उप-निर्वाचन, 2018-निर्वाचकों की पहचान के संबंध में आयोग का आदेश-तत्संबधी।**

महोदय,

1. राज्य विधान सभा के दिनांक **30-01-2018** को **आडिशा में 02-बिजेपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र** से वर्तमान उपनिर्वाचनों में निर्वाचकों की पहचान के संबंध में आयोग का दिनांक 12 फरवरी, 2018 का आदेश इसके साथ संलग्न करने का मुझे निदेश हुआ है।

2. आयोग ने यह निदेश दिया है कि **आडिशा में 02 - बिजेपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र** में सभी निर्वाचकों, जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (एपिक)जारी किए गए हैं, को अपना मत देने से पहले मतदान केन्द्र में अपनी पहचान के लिए एपिक प्रस्तुत करना होगा। वे निर्वाचक जो एपिक प्रस्तुत नही कर पा रहे उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए आदेश के पैरा 8 में उल्लिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

3. एपिक के मामले में, उसकी प्रविष्टियों की मामूली असंगतियों को नजरअंदाज कर देना चाहिए बशर्ते कि एपिक द्वारा निर्वाचक की पहचान स्थापित की जा सकती हो। अगर निर्वाचक कोई ऐसा निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करता है जो कि किसी अन्य विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो तो ऐसे कार्ड भी पहचान के लिए मान्य होंगे बशर्ते कि उस निर्वाचक का नाम उस मतदान केन्द्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में मौजूद हो जहां निर्वाचक मतदान करने के लिए उपस्थित हुआ है। अगर फोटो, आदि के मेल न खाने की वजह से निर्वाचक की पहचान स्थापित करना संभव न हो तो निर्वाचक को आदेश के पैरा 8 में उल्लिखित वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज पेश करना होगा।

4. प्रवासी निर्वाचकों को केवल पहचान की पुष्टि हेतु ही अपना मूल पासपोर्ट प्रदर्शित करना होगा।

5. इस आदेश को रिटर्निंग अधिकारी और सभी पीठासीन अधिकारियों के ध्यान में लाया जाए। स्थानीय भाषा में अनूदित आदेश की प्रति को प्रत्येक पीठासीन अधिकारी को दिया जाना चाहिए।

6. आयोग के दिनांक 12 फरवरी, 2018 के आदेश को राज्य के राजपत्र में तत्काल प्रकाशित करवाया जाए। इस आदेश का सामान्य जनता एवं निर्वाचकों की जानकारी के लिए <u>प्रिंट/इलेक्ट्रानिक</u> मीडिया के माध्यम से व्यापक

प्रचार-प्रसार किया जाए। उक्त उप निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को आयोग के इस निदेश के संबंध में लिखित रूप में अवगत कराया जाए।

7. कृपया नोट करें कि प्रपत्र 17क (मतदाता रजिस्टर) के स्तंभ (3) में पहचान दस्तावेज के अंतिम चार अंकों का उल्लेख किया जाना चाहिए। एपिक और प्रमाणीकृत फोटो मतदाता पर्ची के आधार पर मतदान करने वाले निर्वाचकों के मामले में यह उचित होगा कि अक्षर 'ईपी' (एपिक का सूचक) और 'वीएस' (फोटो मतदाता पर्ची का सूचक) क्रमश: का संगत स्तंभ में उल्लेख कर दिया जाए और एपिक या फोटो मतदाता पर्ची की संख्या लिखना आवश्यक नहीं है। हालांकि, जो लोग किसी वैकल्पिक दस्तावेज के आधार पर मतदान करते हैं उनके मामले में दस्तावेज के अंतिम चार अंकों के लिखे जाने संबंधी अनुदेश जारी रहेंगे। उसमें प्रस्तुत किए गए दस्तावेज के प्रकार का भी उल्लेख किया जाना चाहिए।

8. रिटर्निंग अधिकारियों को अनुदेश दिए जाएंगे कि वे इस आदेश की विवक्षाएं करें और विशेष ब्रीफिंग सत्र के माध्यम से सभी पीठासीन अधिकारियों को उसकी विषय-वस्तु से अवगत कराएं। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इस पत्र की एक प्रति निर्वाचन-क्षेत्र के सभी मतदान केन्द्रों/बूथों में उपलब्ध हो।

9. कृपया पावती दें और की गई कार्रवाई की पुष्टि करें।

भवदीय,

ह./-

(अभिषेक तिवारी)

अनुभाग अधिकारी